**National Journal of Multidisciplinary Research and Development**
**ISSN: 2455-9040; Impact Factor: RJIF 5.22**
**Received: 10-08-2019; Accepted: 11-09-2019**
**www.nationaljournals.com**
**Volume 4; Issue 4; October 2020; Page No. 32-34**

# पर्यावरण सरंक्षण के लिए भारतीय संवैधानिक प्रावधानों का मुल्यांकन

**सतीश कुमार**
स्वतंत्र शोधकर्ता, (समाजस्शात्र), हिसार, हरियाणा, भारत

**सारांश**
पर्यावरण प्रदुषण की समस्या विश्व के सामने एक बहुत बडी चिंता है। इसलिए विश्व के सभी देशों का यह कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण प्रदुषण की समस्या का समाधान करें। भारत के संविधान में पर्यावरण सरंक्षण के लिए कई कानून बनाए गए है। संविधान में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया हैं कि राज्य के निति निर्देशक तत्वों के द्वारा सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का सरंक्षण एंव संवर्धन करें तथा देश के वन व वन्य जीवों की रक्षा करें। मौलिक कर्तव्य के द्वारा नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन,झील,नदी व वन्य जीव की रक्षा और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। प्रत्येक मनुष्य का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह प्रकृति की देखभाल करे क्योकि प्रकृति के साथ ही हमारा अस्तित्व है।

**मूल शब्दः** भारतीय संविधान, पर्यावरण सरंक्षण, निति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य

## प्रस्तावना
पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पति हुई थी तब प्रकृति में सभी जीव जन्तु की आवश्यकता पूरी करने के लिए कई लाखों करोडों गुणा संसाधन प्रदान किये थे। जब तक मानव प्राकृतिक अवस्था में अपना जीवनयापन करता था तब तक प्राकृतिक कारणों से तो पर्यावरण प्रदूषण होता था। परन्तु प्रकृति अपने आप संतुलन कर लेती थी। मनुष्य पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव–जन्तुओं में विकसित प्राणी है, क्योकि उसकी चेतना अन्य सभी जीव–जन्तुओं से विकसित है। इसी कारण प्रारम्भ काल से ही श्रेष्ठतर जीवन जीने का प्रयास करता रहा है। इसी कडी में मनुष्य ने बहुत सी खोजें व अनुसंधान किए है। जिसके परिणामस्वरूप 21 वी. सदी में विज्ञान और तकनीक ने औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन तथा मनुष्य के घरेलू उपयोग के तरीक में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए है। जिससे मानव सभ्यता अपनी परिणति तक पहुचँ गई है, लेकिन मनुष्य फिर भी पर्यावरण सरंक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने में असफल रहा है। अनियन्त्रित और अप्रतिबंधित उद्योगों तथा मनुष्य की अरामदायक जीवन जीने की इच्छा ने पूरे मानव समाज के साथ–साथ अन्य प्राणियों के लिए भी गम्भीर खतरा उत्पन कर दिया है। जो पर्यावरण मानव समाज की पूर्ण प्रगति या उन्नति करता था। आज वही पर्यावरण मानव समाज के लिए विभिन्न समस्याएँ पैदा कर रहा है। इन सबका कारण पर्यावरण संसाधनों का अत्यधिक दोहन या पारिस्थितिक असंतुलन है। अतः पारिस्थितिक असंतुलन इस सीमा तक हो गया है कि जो प्रकृति ने जिसे हमारे रक्षक के रूप में नियुक्त किया था। आज वह हमारी रक्षा करने में सक्षम नही रहा है। ओजोन परत जो हमारी सुर्य के प्रकाश की पैराबेंगनी किरणों से रक्षा करता था। अब इस परत में छिद्र होने के कारण पैराबेंगनी किरणों से मनुष्य घातक बीमारीयों का शिकार बन रहा है। धरती का तापमान बढ रहा है जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे है और सागरों एवं महासागरों का जल स्तर में वृद्वि से कई छोटे देशों तथा द्विपों कों डुबने का खतरा बना हुआ हैं। हमारे देश के कई शहरों में जीनवदायिनी ऑक्सीजन की कमी अनुभव होने लगी है। इन बातों को ध्यान में रखते हूए विश्व स्तर तथा देश अपने स्तर पर कानून बना रहे है। संविधान भारत देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें पर्यावरण सरंक्षण के लिए कई कानून शामिल किये गये है। पर्यावरण सरंक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान :– भारत का संविधान दुनिया के गिने–चुने संविधानों मे से एक है। संविधान निर्माताओं ने संविधान को उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप ही बनाया था तथा फिर संसद ने भी समयानुसार परिवर्तन को ध्यान में रखते हूए संविधान में कई संशोधन किये है। इस प्रकार पर्यावरण सरंक्षण के लिए हमारे संविधान में कई कानून है जो सरकार, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं तथा नागरिकों को पर्यावरण सरंक्षण के लिए आदेश देते है। जिसको हम पाँच भागों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते है।

1. प्रस्तावनाः भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के 42वे संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द को जोडा गया है। संविधान में समाजवादी शब्द को परिभाषित नही किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार समाजवाद का मुख्य उद्देश्य आय के आधार पर असमानता को समाप्त करना है। भारत एक लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्य है। और लोकतान्त्रिक समाजवाद का मुख्य उद्देश्य गरीबी, रोग व अवसर का असमानता को समाप्त करना है। संविधान में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया हैं कि भारत एक समाजिक रूप से संगठित तथा कल्याणकारी राज्य है जो लोगों तथा समाज के लिए सामाजिक सेवाओं का प्रतिपादन करता है।[1]
2. **मौलिक अधिकारः** अनुच्छेद 14,15(2)ख, 21, और 24 पर्यावरण सरंक्षण से संबद्धित है।

क. अनुच्छेद 14 :– भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नही करेगा।[2] स्टॉकहोम घोषणापत्र 1972 में सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव स्वच्छ पर्यावरण समान अधिकार प्राप्त होगा। इस घोषणा के बाद संविधान के 42वे संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 14 को भारत सरकार ने (नागरिकों को समानता के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण बिना किसी भेदभाव के प्रदान करें) घोषित कर दिया है। जिससे भारत में पर्यावरण विधिशास्त्र के विकास का मुख्य स्त्रोत माना जाता है।

ख. अनुच्छेद 15 (2)ख :– कोई नागरिक केवल धर्म , मूलवंश , जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर पूर्णत या भागतः राज्य–निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआँ, तालाबों, स्नानघाटों, सडकों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबध में किसी भी निर्योषयता, दायित्व, निर्बधन या शर्त के अधीन नही होगा।[3] यह अनुच्छेद भेदभाव को रोकता है, तथा सार्वजनिक स्थानों को मानव पर्यावरण का हिस्सा मनता है।

ग. अनुच्छेद 21 :– किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नही।[4] ग्रामीण मुकदमेबाजी और हकदार केन्द्र देहरादून बनाम उतर प्रदेश के मुकदमे में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तियों को स्वच्छ पर्यावरण रहने के अधिकार की मान्यता दी।

घ. अनुच्छेद 24 :– 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजन नही किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।[5] यह अनुच्छेद निश्चित रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में है, इसलिए अनुच्छेद 24 पर्यावरण सरंक्षण का हिस्सा है।

3. राज्य के नीति निर्देशक तत्व :– अनुच्छेद 39च, 47, 48, तथा 48क पर्यावरण सरंक्षण से संबद्धित है।

क. अनुच्छेद 39च :– बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वथ्य विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।[6] एम.सी. मेहता बनाम भारतीय संघ (सी. एन.जी.) के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद 39च,47,और 48क ने सार्वजनिक स्वस्थ की रक्षा और पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए सामुहिक रूप से कर्तव्य निभाया है।

ख. अनुच्छेद 47 :– राज्य अपनी जनता के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊचाँ करने और लोक स्वास्नय के सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा और राज्य विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्नय के लिए हानिकारक औषधीय के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।[7]एम.सी. मेहता बनाम भारतीय संघ (सी.एन. जी.) के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद 39च,47, और 48क ने सार्वजनिक स्वस्थ की रक्षा और पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए सामुहिक रूप से कर्तव्य निभाया है।

ग. अनुच्छेद 48 :– राज्य, कृषि और पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया, गायों और बछडों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।[8] गुजरात राज्य बनाम मिर्जापूर मोती कुरेशी कशाब जमात के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 48,48क और 51क(छ) के बीच में अंतर–संबन्धों की व्याख्या करते हूए कहा कि अनुच्छेद 48क पर्यावरण के साथ सबन्धित है, जबकि 51क(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की बात करता है, जिसमें वन, झील, नदी, और वन्य जीव शामिल है। अनुच्छेद 48 गायों और बछडों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की बात करता है और अनुच्छेद 51क(छ) प्रत्येक नागरिक पर जीवित प्राणीयों के प्रति दयाभाव रखने का कर्तव्य रखता है। जोकि अनुच्छेद 48 के तहत उल्लिखित पशुओं के समाहित करता है।

घ. अनुच्छेद 48कः– राज्य, देश के पर्यावरण के सरंक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।[9] संविधान के 42वे संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 48क को जोडा गया है। जो राज्य को पर्यावरण के सरंक्षण तथा संवर्धन का आदेश है।

4. मौलिक कर्तव्य :– 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग चार क (अनुच्छेद 51क) जोडा गया। जिसमें भारतीय नागरिको के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य जोडे गए तथा 51क (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव है, रक्षा करे तथा उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।[10]
5. अनुसूचियाँ :– सातवी, ग्यारहवी और बारहवी अनुसूचियों में पर्यावरण की सुरक्षा संबद्यित कानूनों का उल्लेख है।

क. सातवी, अनुसूची (अनुच्छेद 246):– इस अनुसूची केन्द्र सरकार और राज्य सरकार तथा दोनों सरकार ( केन्द्र व राज्य सरकार) के विधायी शक्तियों के बटवारे का उल्लेख किया गया है। तथा इस अनुसूची में निम्नलिखित पर्यावरण सरंक्षण के प्रावधान है।[11]

**सूची–1 (संघीय सूची)**

- वे उद्योग जिनके संबन्ध में संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है।
- तेलक्षेत्रों तथा खनिज तेल संपति स्त्रोतों का विनियमन और विकासः पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादन तथा अन्य द्रव और पदार्थ जिनके संबन्ध में संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि वे खतरनाक रूप से ज्वलनशील है।
- खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन
- आंतरिम राज्य नदि**याँ तथा** नदी घाटि**यों के अस्तित्व से सम्बंधी**
- **राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे मछली पकडना और मीन क्षेत्र**
- **अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय**

**सूची–2 (राज्य सूची)**

- सार्वजनिक स्वास्थ और स्वच्छता : अस्पताल और औषधायल,
- मादक लिंकर अर्थात् मादक लिंकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय
- कृषि जिसके अंतर्गत शिक्षा, कृषि और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है,
- पशुधन का परिरंक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजंतुओं के रोगो का निवारण, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय
- भूमि अर्थात् भूमि मे या उस पर अधिकार, भुधृति जिसके अंतर्गत भुस्वामी और अधिकारी का संबन्ध है, भाटक का सग्रहण, कृषि भूमि का अंतरण और अन्य सक्रंमण, भूमि विकास और कृषि उधार, उपनिवेशन
- मत्स्य पालन
- संघ के नियंत्रण के अधीन, विनियमन व विकास के संबन्ध में सूची–1 के उपबंधों के अधीन रहतें हूए खानों का विनियमन तथा खनिज विकास
- सूची–1 की (प्रविष्टि 7 और 52) के उपबंधों के अधीन रहतें हूए– उद्योग

**सूची–3 (समवर्ती सूची)**

- पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण
- वन
- वन्य जीवों और पक्षियों का सरक्षंण
- आर्थिक और सामाजिक नियोजन
- जनसंख्या नियत्रंण तथा परिवार नियोजन
- अफीम के संबन्ध में सूची–1 की प्रविष्टि–59 के उपबंधों के अधीन रहतें हूए मादक द्रव्य व विष
- मानवों, जीवजंतुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामण या सांसर्गिक रोगों अथवा नाशक जीवों के एक राज्य से दुसरे राज्य में फैलने का निवारण

ख. ग्यारहवी अनुसूची (अनुच्छेद 243छ):– यह अनुसूची 73वें सविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोडी गई थी। जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत को 29 कार्यो का दायित्व सौपा गया हैं। जिनमें पर्यावरण सरंक्षण सम्बंधित से निम्नलिखित प्रविष्टियों को शामिल किया गया है।[12]

- कृषि जिसके अंतर्गत कृषि–विस्तार है।
- भूमि विकास, भूमि सुधारों का कार्यान्वन, चकबन्दी तथा भूमि सरक्षंण
- लघु सिचांई, जल प्रबंधन और जलविभाजक क्षेत्र का विकास
- मत्स्य उद्योग
- समाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी
- लघु वन्य उत्पादन
- पेयजल
- इंधन और चारा
- गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत
- स्वास्थ और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र व औषधायल है
- समुदायिक सम्पति का रखरखाव

ग. बारहवी अनुसूची (अनुच्छेद 243ब):– यह अनुसूची 74वें सविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोडी गई थी। जिसमें नगरीय स्तर पर नगरपालिका को 18 कार्यो का दायित्व सौपा गया हैं। जिनमें पर्यावरण सरंक्षण सम्बंधित से निम्नलिखित प्रविष्टियों को शामिल किया गया है।[13]

- नगर नियोजन ( शहरी नियोजन सहित )
- भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विकास
- घरेलू औधोगिक और वाणिज्यिक के लिए जल आपूर्ति
- सार्वजनिक स्वास्थ और स्वच्छता सरक्षंण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलूओं का प्रचार

निष्कर्षः– आज दुनिया के सामने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक सबसे बडी समस्या बन चुकी है। क्योकि पर्यावरण प्रदूषण की कोई भौगोलिक या राजनितिक सीमा नही होती है। हमारे देश की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का पडोसी देशों और पडोसी देशों में परिवर्तनों का हमारे देश पर गहरा प्रभाव पडता है। इसलिए दुनिया के सभी देशों का यह कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक देश पर्यावरण सरंक्षण सम्बंधित कानूनी या सवैधानिक कदम उठाए। भारतीय संविधान में पर्यावरण सरंक्षण से सम्बंधित विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में दोहरे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। एक तो राज्य (सरकार) को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा निर्देश देता है। कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा करें। तथा दुसरी और नागरिको को पर्यावरण सरंक्षण और सुधार के लिए सवैधानिक (मौलिक) कर्तव्य के पालन का निर्देश देता है। इस प्रकार भारतीय संविधान पर्यावरण सरंक्षण व सुरक्षा के लिए सवैधानिक प्रावधानों को लागू करकें विश्व मंच पर अपनी नैतिक भुमिका अदा कर रहा है।

## संदर्भ सूची


1. https://blog.ipleaders.in/constitution-environment-provisions
2. अरूणा वेंकटः पर्यावरण कानून व नीति, पी0एच0आई0 लरनिंग प्रा0 लि0. नई दिल्ली.110001, पृ. 52
3. डॉ. रोहित कुमार भपर्यावरण सरंक्षण के लिए एक भारतीय संवैधानिक दायित्वः एक मुल्यांकन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एंड डेवलपमेंट खंड 3, अंक 2, पृष्ठ सं. 348 फरवरी 2016.
4. प्रो. लीलाकृष्णनः भारत में पर्यावरण कानून, 15वां संस्करण , लक्सिज नेक्सिज ( रेलक्स भारतीय प्रा0 लि0 की शाखा) पुनः मुद्रण अगस्त–2019 पृ. 202
5. डॉ. रोहित कुमार भपर्यावरण सरंक्षण के लिए एक भारतीय संवैधानिक दायित्वः एक मुल्यांकन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एंड डेवलपमेंट खंड 3, अंक 2, पृष्ठ सं. 348 फरवरी 2016.
6. डॉ. विनय एन. प्राणजापेः पर्यावरण कानून, दुसरा संस्करण, केन्द्रीय विधि एजेंसी, इलाहबाद 2016 पृ.29
7. वही
8. डॉ. विनय एन. प्राणजापेः पर्यावरण कानून, दुसरा संस्करण, केन्द्रीय विधि एजेंसी, इलाहबाद 2016 पृ.105
9. भारत का संविधान के (42वें संशोधन)अधिनियम 1976
10. वही
11. http://www.legalservicesindia.com/article/1926/Environmental-Laws-and-Constitutional -Provisions-In-India.html
12. भारत का संविधान के (73वें संशोधन)अधिनियम 1992
13. भारत का संविधान के (74वें संशोधन)अधिनियम 1992